



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-416 राँची, गुरुवार,

12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 अगस्त, 2021

संख्या:-12/लि०से०-03-01/2021 का० 3877-- भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-4447 दिनांक-26.07.2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ : -

(क) यह नियमावली झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 कहलाएगी।

(ख) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010, के नियम 7(1) में वर्णित प्रावधान "निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग भर्ती प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर आयोजित सीमित विभागीय/प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह 'घ' से भरे जाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15% पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता घटा सकती है" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“नियम-7(1)(क)-निम्नवर्गीय लिपिक (सम्प्रति कनीय सचिवालय सहायक) के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक अथवा समकक्ष होगी।

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर आयोजित सीमित विभागीय/प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह 'घ' से भरे जाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक (सम्प्रति कनीय सचिवालय सहायक) के 15% पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता घटा सकती है।

नियम-7(1)(ख)-उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

3. झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010, के नियम 7 (7) में वर्णित प्रावधान “उपनियम (3) एवं (5) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा” को निम्नवत् प्रतिस्थापित/अन्तःस्थापित किया जाता है:-

“नियम 7(7)-सीधी नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं पाठ्यक्रम के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा।

तदनुसार झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम-14 (1) में वर्णित प्रावधानों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

नियम 7(8)-सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-4602 दिनांक-06.08.2011 के प्रावधानों एवं पाठ्यक्रम के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा ।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
